IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882
INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)
An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

एक देश एक चुनाव

ममता गौड
असिस्टेट प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान
एस एस जे राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय स्याल्दे ,अल्मोडा, उत्तराखण्ड

चुनाव परिपक्व लोकतंत्र की आधारशिला है विशेषकर भारत जो दुनिया का सबसे बडा लोकतात्रिक देश है में इसकी भूमिका और अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है चुनाव कब कैसे और किस प्रकार होते हैं यह लोकतंत्र की सशक्ता का पैमाना होता है। परन्तु वर्तमान में देश में इन्हीं चुनावो की आवृति चर्चा का विषय के राथ आवश्यकता बन गई है क्योंकि कभी संध के तो कभी राज्य विधानमण्डलों के चुनाव होने के कारण देश लगातार चुनावी मोड में रहता है जिससे नीतिगत निर्णयों को लेने में देरी होती है। इसका प्रभाव देश के विकास पर पडता है इसके अतिरिक्त यदा कदा होने वाले इन चुनावों पर श्रम शक्ति एवं धन का अपव्यय होता है। राजनीतिक दलो द्वारा अनुपयोगी मुद्दो को उठा कर चुनावी लाभ प्राप्त करने हेतु अशांति एवं अव्यवस्था का वातावरण बनाने के उदाहरण प्रायः दृष्टिगत हो जाते हैं। इन सब से निजात पाने हेतु समांतर चुनावी व्यवस्था का विकल्प रखा जा रहा है। इस हेतु चुनाव आयोग ने भी हामी भर दी है कि उपलब्ध संसाधनो के साथ एक देश एक चुनाव की व्यवस्था करने में आयोग सक्षम है अब गेंद राजनीति दलो के पाले में है, कि कब तक सभी एकमत होते है।

शब्द कुंजी

आर्दश आचार सहिता, संवैधानिक सशोधन, मानव संसाधन ,चुनावी चक्रव्यूह ,राजनीतिक संवाद विधि आयोग ,हेट स्पीच, स्पिल्ट वोटिग

एक सशक्त लोकतंत्र का प्रमाण है जनता की उस में भागीदारी और जनता की भागीदारी सुनिश्चित करती है देश विशेष की चुनाव व्यवस्था। चुनाव लोकतंत्र का पर्व है जो लोकतात्रिक देशो में हर्षोल्लास से मनाया जाता है भारत में इस पर्व का आयोजन चुनाव आयोग .द्वारा कराया जाता है जिसने इसे बखूबी निभाया है। फिर भी प्रत्येक व्यवस्था सुधारों एवं सामान्य से उत्कृष्टता की ओर बढने की सम्भावनाएं रखती है उन्ही सम्भावनाओ से आशान्वित हो भारत में भी चुनावी सुधारों के अन्तर्गत एक देश एक चुनाव अर्थात संसद, राज्य विधानसभाओ समांतर चुनाव जो चरणो में सम्पन्न कराए जाने का विषय चर्चा में है । इसी विषय पर

19जून 2019 को माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई लेकिन राजनीतिक दलो की इस मसले पर राय एक मत नहीं हुई जहॉ वाम दल इसे अव्यवहारिक एवं लोकतंत्र विरोधी मान रहे है वहीं काग्रेस ने भी पूर्णत हामी नहीं भरी है तृणमूल काग्रेस गोवा फारवर्ड पार्टी ने इस विचार का

विरोध कर रहे है। यह कोई अचानक चर्चा में आया विषय नहीं वरन इससे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और पूर्व गृह मंत्री लालकृष्ण आडवानी जी भी इसकी वकालत कर चुके है। वर्तमान में चुनावों की आवृति देखकर एक देश एक चुनाव को देश की आवश्यकता कहा जाए तो अतिश्योक्ति नहीं होगी ।

स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम बार चुनाव 1952 में हुए इसके लगभग 16 वर्षो तक लोकसभा एंव विधानसभा सभी के चुनाव एक साथ होते रहे लेकिन फिर क्रम बिगडा देश में राजनीतिक संकटो और संवैधानिक समाधानो के नए समीकरण भी सामने आए 1967 के चौथी लोकसभा के चुनाव के बाद कुछ राज्यों में कार्यकाल पूरा होने की नौबत आई या फिर विधानसभा भंग होने से पहली बार चुनाव एक साथ करवाए जाने का क्रम टूटा । 1970 में पहली बार ऐसा हुआ कि लोकसभा भी कार्यकाल से पूर्व भंग हो गई अतः 1971 में तय कार्यक्रम से पूर्व भी चुनाव करवाने पडे । इसके पश्चात तो प्रायः लोकसभा के कार्यकाल को लेकर अनिश्चितता का दौर दिखता रहा पॅाचवी लोकसभा का कार्यकाल संविधान के अनुच्छेद के तहत 1977 तक बढाया गया था फिर 8वीं, 10वीं, 14वीं ,,15वीं 16वीं लोकसभा ने अपना निश्चित कार्यकाल 5 वर्ष पूर्ण किया जबकि 6वीं, 7वीं, 9वीं ,11वीं 12वीं और 13वीं लोकसभा का कार्यकाल पूर्ण नहीं हो पाया इसी प्रकार कई राज्यों की विधानसभा भी अपने 5 वर्ष के कार्यकाल से पूर्व ही भंग होती रही इसका कोई निश्चित कारण तो स्पष्ट नहीं परन्तु कांग्रेस के वर्चस्व में कमी और क्षेत्रीय मुद्दो का अधिक प्रभावी होना एक कारण हो सकता है। यदि पिछले दशक पर दृष्टिपात करें तो 2009, 2014 ,2019 में हुए आम चुनाव के साथ लगभग प्रत्येक वर्ष हुए विधानसभा चुनाव निम्न प्रकार है।

राज्य विधानसभाओ के चुनावों का विवरण

वर्ष	राज्य
2011	केरल पडुचेरी असम पश्चिम बंगाल तमिलनाडु
2012	हिमाचल प्रदेश,गुजरात गोवा ,मणिपुर, पंजाब, उत्तर प्रदेश,उत्तराखण्ड,,
2013	छत्तीसगढ ,मध्यप्रदेश ,मिजोरम ,नई दिल्ली राजस्थान,कर्नाटक,त्रिपुरा,नागालैड,मेधालय
2014	झारखण्ड,जम्मू कश्मीर,हरियाणा,महाराष्ट,ओडिशा,आन्ध्र प्रदेश सिक्किम,अरूणाचल प्रदेश
2015	बिहार ,नई दिल्ली
2016	असम, केरल,पडुचेरी,तमिलनाडु पश्चिम बंगाल
2017	गुजरात ,हिमाचल प्रदेश ,गोवा ,मणिपुर ,पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड
2018	छत्तीसगढ,मघ्यप्रदेश,राजस्थान,मिजोरम,कर्नाटक,तेलगाना,त्रिपुरा,मेधालय नागालैड,
2019	झारखण्ड ,हरियाणा,महाराष्ट्र,अरूणाचलप्रदेश,ओडिशा,आन्घ्र प्रदेश,सिक्किम,,
2020	बिहार,नई दिल्ली
2021	असम, केरल ,पडुचेरी ,तमिलनाडु ,पश्चिम बंगाल
2022	गोवा,मणिपुर,पंजाब,उत्तर प्रदेश,उत्तराखण्ड
2023	हिमाचल प्रदेश,गुजरात, त्रिपुरा ,कर्नाटक

।

इससे समझा जा सकता है कि प्रत्येक वर्ष देश के किसी राज्य में चुनाव सम्पन्न कराए गए हैं जबकि आम चुनाव तीन बार ही हुए । यदि देश में एक ही बार आवश्यकतानुसार चरणों में चुनाव सम्पन्न कराए जाए तो न केवल सरकारी खजाने पर बोझ कम पडेगा वरन राजनीतिक दलो के व्यय में भी कमी आएगी साथ ही मतदाताओ में मतदान के प्रति उदासीनता को भी कम किया जा सकेगा । ऐसी ही सिफारिश 1999 में विधि आयोग की 170वीं रिर्पोट के अन्तर्गत भी की गई थी एक पूरा अध्याय इसी मुद्‌दे पर था इस रिर्पोट में ईवीएम में नोटा का विकल्प की सिफारिश भी की थी इसके पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर यह विकल्प मतदाताओ को दिया गया ।

2015 में कानून और न्याय पर संसदीय समिति ने एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश की। 2018 में विधि आयोग ने इस मुददे पर एक सर्वदलीय बैठक भी बुलाई जिसमें कुछ राजनीतिक दलो ने इस प्रणाली का समर्थन किया और कुछ ने विरोध कुछ राजनीतिक दल तटस्थ भी रहे । माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोंदी ने जनवरी 2017 में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए एक देश एक चुनाव को देश की आवश्यकता बताया यही बात तीन माह पश्चात् नीति आयोग के साथ राज्य के मुख्यमंत्रियों की बैठक में भी दोहराई गई। 2017 में तात्कालीन चुनाव आयुक्त ओ पी रावत ने कहा था कि आयोग एक साथ चुनाव कराने के लिए तैयार है लेकिन निर्णय राजनीतिक स्तर पर लिया जाना है।

बार – बार चुनावों में धन की बर्बादी कहना गलत नहीं होगा आम चुनाव में तमाम राजनीतिक दल लगभग 60 – 70 हजार करोड रुपये यूँ ही खर्च कर देते है राज्य विधानसभा चुनावो में भी करीब करीब इतना ही खर्च हो जाता है। यदि दोनों को मिलाकर देखा जाए तो लगभग सवा लाख करोड रुपये के आस पास राजनीतिक दलो द्वारा खर्च किए जाते जब एक देश एक चुनाव से प्रचार अभियान भी 5वर्षो में केवल एक ही बार संचालित होगा तो निश्चित रुप से खर्च में भी कमी आएगी , इतने धन की बचत होगी तो देश की दशा और दिशा का सही तरीके से निर्धारण हो पायेगा। चुनाव के समय आर्दश आचार संहिता लागू होने के परिणामस्वरुप विभिन्न विषयो में निर्णय लेने में विलम्ब होता है। आर्दश आचार संहिता जो चुनाव की तारीखो की घोषणा के साथ लागू होती है उससे सरकार की नई योजनाओ की घोषणाओ, नई नियुक्तियॉ, स्थानातरण एवं सरकार के सामान्य कार्यो में भी अवरोध उत्पन्न हो जाता है। इसके अतिरिक्त चुनाव अभियान की अवधि में किसी खास धर्म या जाति को निशाने में रख समाज में अशान्ति फैलाकर राजनीतिक स्वार्थो की पूर्ति राजनीतिक दलो किए जाने के उदाहरण भी प्रायः दृष्टिगत होते हैं राजनीतिक दलो द्वारा चुनावी भाषणो का भी नकारात्मक प्रभाव आम जन पर कम पडेगा क्योंकि बार – बार चुनावो के कारण राजनीतिक दलो के पास कोई सशक्त कार्यक्रम नहीं होता तो वे कम महत्वपूर्ण मुद्दो को अधिक तूल देते है जाति ,लिग, धर्म जैसे मुद्दे भी खूब चर्चा में रहते हैं इस प्रकार यदि चुनावो की आवृति पर लगाम लगती है तो अवश्य ही हेट स्पीच पर भी लगाम स्वतः ही लग जाऐगी।

वर्तमान चुनावी व्यवस्था की खामियाँ अलग अलग चुनाव की कमियॅा

एक देश एक चुनाव से स्थिरता एंव द़क्षता आना तय है क्योंकि चुनावो के कारण सतारूढ दल हमेशा अभियान मोड में रहता है वह कानून एवं प्रशासन पर अधिक ध्यान केन्द्रित करने में सक्षम हो पायेगा सरकारो द्वारा लोक लुभावन उपाय व घोषणाएँ कम होगी भष्ट्राचार को रोकने हेतु अनुकूल सामाजिक, आर्थिक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करने के लिए पर्याप्त समय मिल जायेगा साथ ही मानव संसाधनो का अपव्यय नहीं होगा नीतियों और कार्यक्रमो में निंरतरता बनी रहेगी जो देश के विकास हेतु अति आवश्यक है।

एक देश एक चुनाव लागू करने में चुनौतियाँ

एक देश एक चुनाव को लागू करने हेतु सबसे बडी चुनौती है राजनीतिक आम सहमति प्राप्त करना जो असम्भव सी प्रतीत होती है। क्षेत्रीय दल राष्टीय दलो की तुलना में इस विचार का अधिक विरोध करेगें क्योंकि यदि साथ चुनाव कराए जाते हैं तो राज्य एवं संघीय स्तर पर एक ही राजनीतिक दल का प्रभुत्व स्थापित होने की सम्भावना अधिक रहती है यहा क्षेत्रीय दलो को स्पिल्ट वोटिग और अपने अस्तित्व को लेकर भी भय बना हुआ है इसी कारण राजनीतिक दलो को एकमत करना तराजू में मेढक तोलने के समान ही है। इसके साथ ही इस प्रकिया को लागू करने हेतु सविधान में सशोधनो की आवश्यकता होगी जैसे

अनुच्धेद 83 – संसद के सदनो की अवधि से सम्बधित

अनुच्घेद 85 – राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने का अधिकार देता है

अनुच्छेद 172 – राज्य विधानसभाओ के विघटन से सम्बधित

अनुच्छेद 356 – राज्य में सवैधानिक मशीनरी की विफलता के मद्देनजर राष्ट्रपति शासन लगाने से सम्बधित

जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 संसद और विधानसभाओ के कार्यकाल की स्थिरता के प्रावधानो में बनाने के लिए संशोधन करना होगा।

इसके साथ ही चुनाव के लिए आवश्यक प्रकियाओ को सुविधाजनक बनाने के लिए चुनाव आयोग की शक्तियों और कार्यो का पुर्नगठन करना होगा।

उपरोक्त सभी छोटे और बडे सशोधनो के लिए सदन में दो तिहाई बहुमत की आवश्यकता होगी इसके अतिरिक्त केन्द्र एवं राज्य सरकारो के एक साथ चुनाव कराने की स्थिति कई राज्यो की सरकारो को अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले ही भंग करना होगा।

संशोधनो के साथ ही भविष्य में यदि किसी राज्य में फिर सवैधानिक संकट की स्थिति आती है तो किस प्रकार समरूपता स्थापित की जा सकेगी ? यह भी एक समस्या होगी ।

वैश्विक स्तर पर स्थिति

विश्व के कई अन्य देश स्वीडन इडोनेशिया दक्षिण अफ्रिका स्पेन जर्मनी हंगरी बेल्जियम पौलेड स्लोवाकिया अल्बानिया आदि भी एक देश एक चुनाव का अभ्यास कर रहें हैं। सयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किगडम जैसे देश जहाँ लोकतत्र की जडे बहुत गहरी है वे देश भी इसी व्यवस्था का निर्वाह करते है अमेरिका में चुनाव की तिथि वैधानिक रूप से घोषित है राष्ट्रीय चुनाव दिवस सविधान में उल्लेखित है यह प्रत्येक सम संख्या वर्ष के नवम्बर माह में प्रथम सोमवार के बाद मंगलवार को मनाया जाता है अर्थात नवम्बर माह की प्रारम्भिक तिथियों 1–.10 तक के बीच आम चुनाव में अपनी सहभागिता निभाते हैं इस प्रकार एक दिन निर्धारित है उसी प्रकार यदि यूनाइटेड किगडम की बात करें तो वहा भी मई माह के प्रथम गुरूवार को चुनाव कराए जाते है इस गुरूवार को सुपर थ्रसडे के नाम से जाना जाता है । इस प्रकार अमेरिका जैसा संघीय देश एवं यूनाइटेड किगडम जैसा एकात्मक देश दोनो ही निश्चित तिथि या अवधि में चुनाव कराते हैं।

विश्व के कई अन्य देश स्वीडन,इडोनेशिया,दक्षिण अफ्रीका, स्पेन, जर्मनी, हंगरी, बेल्जियम, पौलेड,स्लोवाकिया ,अल्बानिया आदि भी एक देश एक चुनाव का अभ्यास कर रहे हैं।

इस प्रकार भारत में इसी प्रकार की व्यवस्था कर देश का धन एवं समय दोनो की बचत की जा सकती है क्योंकि सामान्य रूप से इसमें कोई खामिया नही दिखती परन्तु फिर भी कुछ राजनीतिक दल इसका विरोध कर रहे है बिहार के मुख्यमंत्री एवं जनता दल यू नेता एक देश एक चुनाव को मानते तो सही है परन्तु जल्दबाजी करना ठीक नहीं होगा। कुछ विद्वानो का तर्क है इस व्यवस्था से पैसा तो बचेगा परन्तु क्या पैसा बचाने हेतु लोकतंत्र को खत्म कर दिया जाए यद्यपि समाजवादी पार्टी, तेलंगाना राष्ट समिति, शिरोमणि अकाली दल जैसी पार्टिया इसका समर्थन भी कर रही है । इस प्रकार विश्व के सबसे बडा लोकतंत्र जो हर समय चुनावी चक्रव्यूह तें घिरा रहता है उससे देश को निकालने हेतु सरकार की प्रतिबद्वता एवं अन्य राजनीतिक दलो की इच्छा शक्ति साथ में सहयोग जो मात्र राजनीतिक संवाद के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है ही एक सशक्त साधन है।

सदंर्भ सूची

- मृगांक शेखर. 2019- एक देश एक चुनाव में नफा कम नुकसान ज्यादा

  www.ichowk.in

- झा कन्हैया 2021- एक देश एक चुनाव की दिशा में आगे बढे सभी राजनीतिक दल www.jagran.com
- www.aajtak.in
- https://eci.gov.in
- सुथार देवेद्रराज - एक देश एक चुनाव की राह आसान नहीं https:/hindi.webdunia .com
- ठाकुर नितिन- एक देश एक चुनाव मजबूरी है या जरूरी tv9 hindi.com
- कुमार सुधीर- एक देश एक चुनाव Ignited mind journals, tp://ignited.in